संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

4650

क्रमांक टीसी/119/अलीराजपुर/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, दिनांक 4/10 ~~/09~~/2023

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)।

2 **सहायक संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय झाबुआ (म.प्र.)।

2 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)।

4 **मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद
अलीराजपुर (म.प्र.)।

विषय:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) (क) के अधीन पुनर्घनत्वीकरण योजना अन्तर्गत अलीराजपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण बाबत- (ग्राम अलीराजपुर तहसील एवं जिला अलीराजपुर के सर्वे क्रमांक 54 कुल रकबा 0.4290 हेक्टेयर में से 0.3054 हेक्टेयर) आवेदक - म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल म.प्र.

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 के द्वारा अलीराजपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

4651

पृ. क्रमांक टीसी/119/अलीराजपुर/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, दिनांक 4/10 ~~/09~~/2023

प्रतिलिपि:-

1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक 4/10/09/2023

क्रमांक 4648 /टीसी/119/अलीराजपुर/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **अलीराजपुर** विकास योजना 2021 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	अलीराजपुर तहसील व जिला अलीराजपुर	54	0.4290	0.3054	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं वर्तमान आवासीय एवं मार्ग	वाणिज्यिक एवं मार्ग
	कुल भूमि रकबा 0.4290 हेक्टेयर में से उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा 0.3054 हेक्टेयर					

शर्तः-

1. **प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में स्थित वर्तमान अलीराजपुर-उमराली मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई अलीराजपुर विकास योजना, 2021 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग मध्य से दोनो ओर 15.00 मीटर - 15.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा।**
2. **वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं अलीराजपुर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगें।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, झाबुआ को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपतियॉ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\laxmikant\New 23 k 1 kha.docx